भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 580
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 फरवरी, 2022 को दिया जाना है

नोटरी द्वारा पेशेवर कदाचार

580. श्रीमती चिंता अनुराधा :

श्री एन. रेड्डप्प :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोटरी के पेशेवर कदाचार के खिलाफ जनता के लिए शिकायत दर्ज करने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है ; और

(ख) क्या सरकार नोटरी के पेशेवर कदाचार के खिलाफ आम जनता से शिकायत प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र शुरू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 के निबंधनानुसार, वृत्तिक और अन्य कदाचार से संबंधित कोई जांच या तो समुचित सरकार द्वारा स्वप्रेणा से या नोटरी नियम, 1956 में संलग्न प्ररुप-13 में प्राप्त किसी प्ररिवाद पर आरंभ की जाती है ।

(ख) : वर्तमान में, नोटरियों के वृत्तिक कदाचार के विरुद्ध आम जनता से परिवाद/ शिकायत प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन शिकायत/परिवाद निवारण तंत्र शुरु करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

****